आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमण्डल, छपरा।

आपूर्त्ति अपीलवाद संख्या–31/2023

श्री चंदन कुमार, पिता–श्री बाबूलाल साह

बनाम्

1.श्रीमती सुप्रिया देवी, पति– श्री अभिषेक कुमार ठाकुर।

2.अनुमंडल पदाधिकारी, हथुआ, गोपालगंज।

3.समाहर्त्ता, गोपालगंज।

आदेश

	उपस्थिति, वादी के तरफ से :–विद्वान अधिवक्ता, श्री संजय कुमार सिंह एवं श्री वरूण कुमार। विपक्षी सं०–01 की ओर से :– विद्वान अधिवक्ता, श्री मनोज कुमार। सरकार की तरफ से :– विद्वान विशेष लोक अभियोजक, सारण, छपरा।	
आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
26.09.2024 06.11.2024	**प्रस्तुत आपूर्त्ति अपील वाद, न्यायालय समाहर्त्ता, गोपालगंज द्वारा नई अनुज्ञप्ति हेतु विविध अपील सं०–55/21 में दिनांक–25.11.2022 को** पारित आदेश के आलोक में इस न्यायालय के समक्ष दायर किया गया है। **प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विषय–वस्तु** यह है कि जिला गोपालगंज अन्तर्गत, अनुमंडल पदाधिकारी, हथुआ, प्रखंड–फुलवरिया, आरक्षण कोटि–अनारक्षित रोस्टर बिन्दु सं०–529 पर नई पी०डी०एस० अनुज्ञप्ति के चयन के लिए वादी श्री चन्दन कुमार, पिता–श्री बाबूलाल साह, विपक्षी सं०–01, श्रीमती सुप्रिया देवी, पति–श्री अभिषेक कुमार ठाकुर सहित अन्य अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन प्रस्तुत किए गए। दावा–आपत्ति निष्पादन के पश्चात् प्राप्त आवेदनों की औपबंधिक वरीयता सूची तैयार की गयी, जिसमें वादी श्री चन्दन कुमार, क्र० सं०–01 पर तथा विपक्षी सं०–01, श्रीमती सुप्रिया देवी, क्र० सं०–02 पर अंकित है। वादी श्री चंदन कुमार के पास आटा चक्की होने के आरोप एवं इस संबंध में प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु वादी श्री चन्दन कुमार के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए विपक्षी सं०–01, श्रीमती सुप्रिया देवी का चयन नई पी०डी०एस० अनुज्ञप्ति हेतु किया	

WEB COPY NOT OFFICIAL

गया। उक्त चयन के विरूद्ध वादी द्वारा न्यायालय, समाहर्त्ता, गोपालगंज के समक्ष नई अनुज्ञप्ति हेतु विविध अपील सं०–55/21 दायर किया गया था, जिसमें दिनांक–25.11.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में प्रस्तुत वाद इस स्तर पर लाया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।

वादी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार वादी एवं दो अन्य अभ्यर्थियों द्वारा रोस्टर बिन्दु सं०–529 (अनारक्षित) हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत किया गया था, इस हेतु तैयार औपबंधिक वरीयता सूची में वादी क्र० स०–01 पर रहे हैं, परन्तु जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा त्रुटियुक्त तरीके से वरीयता सूची के क्र० सं०–02 पर अंकित विपक्षी सं०–01, श्रीमती सुप्रिया देवी का चयन बिना किसी जाँच पड़ताल के नई पी०डी०एस० अनुज्ञप्ति हेतु कर लिया गया है। उक्त के आधार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत् रोस्टर बिन्दु सं०–529 पर विपक्षी सं०–01, श्रीमती सुप्रिया देवी के चयन को निरस्त करते हुए प्रस्तुत अपील आवेदन को स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार अपीलकर्त्ता द्वारा स्वयं के पास आटा चक्की होने एवं स्वयं उसका संचालक होने की बात छिपाते हुए आवेदन दिया गया था। औपबंधिक वरीयता सूची के प्रकाशन के पश्चात् विपक्षी सं०–01 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, हथुआ, गोपालगंज के समक्ष इस आशय का आपत्ति दिया गया था कि खाता सं०–14, खेसरा सं०–167, मौजा–केलानी, थाना सं०–900, थाना–फुलवारी, प्रखण्ड–फुलवरिया में आटा–चक्की का संचालन स्वयं वादी द्वारा किया जाता है। जिसकी जाँच प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी, फुलवरिया द्वारा करते हुए अपने पत्रांक–31, दिनांक–15.02.2020 द्वारा वादी श्री चंदन कुमार द्वारा आटा–चक्की संचालित किए जाने की बात को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे कहा गया कि ''बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2016'' के कंडिका 11 (iii) में वर्णित

WEB COPY NOT OFFICIAL

प्रावधान के आलोक में वादी का चयन नई पी०डी०एस० अनुज्ञप्ति के लिए नहीं करते हुए क्र० सं०–02 पर अंकित विपक्षी सं०–01 का चयन किया गया है, जो नियम संगत है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक के अनुसार प्रखण्ड–फुलवरिया, पंचायत–फुलवरिया, रोस्टर बिन्दु सं०–529 (अनारक्षित) पर नई पी०डी०एस० अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त आवेदनों के आधार पर वादी श्री चन्दन कुमार एवं विपक्षी सं०–01, श्रीमती सुप्रिया देवी के शैक्षणिक एवं कम्प्यूटर योग्यता की स्थिति निम्नवत् है :–

नाम	जन्मतिथि	मैट्रिक का प्राप्तांक / प्रतिशत	कम्प्यूटर योग्यता	उच्चतर शैक्षणिक योग्यता	प्रतिशत
चन्दन कुमार (वादी)	06.08.1991	211/42.2%	CIFA	स्नातक	61.13%
सुप्रिया देवी (विपक्षी)	07.01.1991	338/56.33%	ADCA	B.A. (विकलांग)	55.55%

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि दावा आपत्ति निराकरण के क्रम में विपक्षी द्वारा दिए गए आपत्ति के आलोक में प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी द्वारा वादी के पास आटा–चक्की होने के बिन्दु पर जाँच की गयी है और अपने पत्रांक–31, दिनांक–15.02.2020 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **''जाँच के क्रम में आटा चक्की होने सम्बन्धी तथ्य सही पाया गया।''** विद्वान विशेष लोक अभियोजक, सारण द्वारा आगे कहा गया कि उक्त प्रतिवेदन के आधार पर अंतिम वरीयता सूची में वादी श्री चन्दन कुमार के समक्ष कॉलम–19, **अनुज्ञप्ति हेतु मंतव्य** में अंकित किया गया है कि *''.....आटा चक्की के मालिक एवं उनके निकट संबंधियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।''* जिसके आधार पर वरीयता सूची के क्र० सं०–01 पर अंकित वादी के पक्ष में नई पी०डी०एस० अनुज्ञप्ति निर्गत न कर क्र० सं०–02 पर अंकित विपक्षी के पक्ष में नई पी०डी०एस० अनुज्ञप्ति निर्गत की गयी है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक

WEB COPY NOT OFFICIAL

को विस्तारपूर्वक सुनने तथा वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत रोस्टर बिन्दु हेतु तैयार किये गये अंतिम वरीयता सूची के क्र० सं०–01 पर अंकित अभ्यर्थी श्री चंदन कुमार, पिता–बाबूलाल साह का चयन नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु इस आधार पर नहीं किया गया है कि उनके पास आटा चक्की है। वादी के विद्वान अधिवक्ता का पक्ष है कि वादी की शैक्षणिक योग्यता विपक्षी से अधिक है, वे वरीयता सूची के क्र० सं०–01 पर है, ऐसे में उनका चयन नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु किया जाना चाहिए, परन्तु वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वादी के पास आटा चक्की होने के बिन्दु पर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है। अभिलेख के अवलोकन में पाया गया है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, फुलवरिया द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, हथुआ को प्रेषित पत्रांक–31 दिनांक–15.02.2020 में वादी श्री चंदन कुमार के पास आटा चक्की होने संबंधी तथ्य को सही प्रतिवेदित किया गया है। स्पष्ट है कि **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016** की कंडिका–11 (iii) **''आटा चक्की के मालिक एवं उनके निकट संबंधियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी''** के आलोक में अंतिम वरीयता सूची के क्र० सं०–01 पर अंकित वादी को अयोग्य पाते हुए क्र० सं०–02 पर अंकित विपक्षी सं०–01 का चयन नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु किया गया है। निश्चित रूप से जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा विभागीय आदेश के आलोक में समुचित आदेश पारित किया गया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के क्रम में ऐसे किसी त्रुटि को चिन्हित नहीं किया जा सका है, जिससे कि जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत हो।

उपर्युक्त वर्णित कारण से जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक–677/आ०, दिनांक–31.08.2020 द्वारा नई पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति हेतु विपक्षी सं०–01 के चयन को त्रुटि रहित पाते हुए उसे यथावत् रखा जाता है।

तदनुसार प्रस्तुत आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है।

आई०टी० सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के

WEB COPY NOT OFFICIAL

	24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे। लेखापित एवं संशोधित आयुक्त आयुक्त	

WEB COPY NOT OFFICIAL